इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible] अदालत [illegible] हुई प्रार्थी [illegible] से प्रार्थना [illegible] मौके-मौके [illegible] स्थिति व [illegible] विषय [illegible] अवलोकन [illegible] अपनी [illegible] से सम्बन्ध [illegible] ग्राम फूलेश [illegible] खसरा [illegible]/443, [illegible]/451 [illegible] 0404 1.10 बिघा [illegible] जो प्रार्थी [illegible] आवश्यकता [illegible] सुविधाजनक [illegible] राह [illegible] अभाव सिद्ध ग्राम फूलेश [illegible] खसरा [illegible]/443, [illegible]/451 में 07.04.04 [illegible] 1.10 बिघा		[illegible] राजस्व कर्मचारी [illegible] से [illegible] दिया [illegible] है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधा 251 A R.T.A.P.D. [illegible] अधिनियम के [illegible] किया जाता है खसरा में से कुल एवं उपरोक्त खसरों में से कुल 1.10 बिघा भूमि राह के लिए दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है चूंकि प्रभावित खसरों के खातेदार राह हेतु भूमि निःशुल्क देने को सहमत है अतः प्रार्थी से प्रभावित खसरों की भूमि की मिसल राजि खसरों की भूमि की मिसल राजि बनी ली जावे। तहसीलदार मिडवाय प्रभावित खसरों में कुल 1.10 बिघा भूमि सार्वजनिक राह के रूप में जमाबन्दी में दर्ज करे तथा नक्शा जमाबन्दी में राह हेतु दी गई भूमि की लरहा में राह हेतु दी गई भूमि को तरमीम करे। आदेश का खुलासा तरमीम करे। आदेश का खुलासा बनाया गया। पत्रावली फैसल कर होकर नम्बर से दाखिल हो।

[illegible]

सहायक कलेक्टर, [illegible]

29.12.15 पत्रावली मेजबान पर पेश हुई। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अधा 151 CPC में अवलोकन किया तथा पत्रावली का भी अवलोकन किया। जिसमें विपक्ष लेखन में 2क (4) में स्थान पर 451/452 451/452 के स्थान पर 451/452 लिखा गया है जो लिपिकीय त्रुटि लिखा गया है जो लिपिकीय त्रुटि है। 1.7.15 में